सराहनीय कार्य दिनांक 26.02.2021 जनपद मऊ।

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत वलीदपुर में चिकित्सक से रंगदारी मागने मागनें वाले 02 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, दो अदद सिमकार्ड व एक मोटरसाइकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.02.2021 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पट्टी बैरियर के पास से वलीदपुर में चिकित्सक से रंगदारी मागनें वाले तीन शातिर अभियुक्तों क्रमशः योगेन्द्र यादव उर्फ बडकई पुत्र बिजली यादव निवासी विशुनपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़, विशाल यादव पुत्र फूलबदन यादव निवासी विशुनपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ व बाल अपचारी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन मय दो अदद सिम कार्ड व एक बिना कागजात की मोटरसाइकिल हिरो होण्डा पैशन प्रो यूपी 545 एएफ 4130 बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.02.2021 को वलीदपुर में चिकित्सक सुरेन्द्र यादव पुत्र सहादुर यादव निवासी निवासी भूसुवा थाना रानीपुर जनपद मऊ के मोबाइल नम्बर 9935249916 पर 6306026522 से फोन कर 05 लाख की रंगदारी मागी गयी थी न देने पर अंजान भुगतने की घमकी दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70/21 धारा 386,507 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत पर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार टीम गठित कर घटना के खुलाशे की कार्यवाही की जा रही थी।

बरामद मोबाइल फोन की जांच की गयी तो उक्त मोबाइल फोन में प्रयुक्त नम्बर 6306026522 मु0अ0सं0 70/21 धारा 386,507 भादवि0 से सम्बन्धित पाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.02.2021 को वलीदपुर में चिकित्सक सुरेन्द्र यादव को फोन कर 05 लाख रूपये की रंगदारी हम लोगों ने ही मांगी थी। पुनः दिनांक 20.02.2021 को सुबह में इसी मोबाइल से रंगदारी मागे थे न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दिये थे। जब सीम कार्ड के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया एक मोबाइल फोन हम लोगों को रास्ते मे गिरा मिला था मोबाइल में कोड लगे होने की वजह से वह नही खुल पाया इसलिए हम लोग उस मोबाइल को वही पर फेक दिये तथा सिम निकालकर दुसरे मोबाइल फोन में लगाकर उक्त चिकित्सक से रंगदारी मांगे थे। उक्त अभियुक्तों की निशानदेही पर टूटा हुआ मोबाइल फोन विशुनपुर गाव के पास से बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से बरामद गाड़ी के बारे में पूछने पर उक्त गाड़ी का कागजात नही दिखाया गया। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. योगेन्द्र यादव उर्फ बडकई पुत्र बिजली यादव निवासी विशुनपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़।
2. विशाल यादव पुत्र फूलबदन यादव निवासी विशुनपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन विवो कम्पनी।
2. दो अदद सिम कार्ड।
3. एक टूटा मोबाइल कवर।
4. एक मोटरसाइकिल हिरो होण्डा पैशन प्रो यूपी 54 एएफ 4130।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार पाठक, उ0नि0 चन्द्रभान सिंह, हे0का0 विजय कुमार सिह, का0 विजय विश्वकर्मा, का0 प्रदीप मिश्रा, का0 धर्मचन्द्र सोनकर, का0 बिन्द्रेश यादव **(थाना मुहम्मदाबाद)**

02 शातिर तश्कर गिरफ्तार कब्जे से एक ट्रक वाहन में लदा 01 कुन्टल 16 किलो अवैध गांजा(कीमत लगभग 10 लाख रूपये) बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना हलधरपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर डीह तिलक ठाकुर नहर पुलिया के पास से एक ट्रक वाहन (एचआर 55 एन 06511) में लदा लगभग 01 कुन्टल 16 किलों अवैध गांजा कीमत लगभग 10 लाख रूपये सहित 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 26.02.2021 को समय लगभग रात 01 बजे एसओजी टीम तथा थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान आपस में अपराध/अपराधियों के विषय में बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर की सूचना मिली कि बलिया की तरफ से एक ट्रक आ रही है जिसपर अवैध नशीला पदार्थ लदा है वह मऊ जायेगी। इस सूचना पर डीह तिलक ठाकुर नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक तेज गति से बलिया की तरफ से आयी। आगे ट्रक व चार पहिया वाहन सड़क पर खडे होने के कारण रोका तथा गाड़ी की चेकिंग होता देख ट्रक को बैक करने हेतु पिछे करने लगा जिसपर मौजूद पुलिस बल द्वारा उक्त ट्रक को रोक कर चेक किया गया। केबिन में बैठे एक व्यक्ति वाहन चालक से पूछताछ की गयी तो अपना नाम शिवकुमार राठौरा पुत्र स्व0 रामवीर सिंह निवासी पुराऊ, अलावन जनपद एटा तथा दुसरे बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम दिनेश दास पुत्र स्व0 महेश्वर दास निवासी पितम्बर हाट, बाजाली रंगिया जनपद कामरूप असम बताया गया। गाड़ी को बैक कर भागने के प्रयास के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछा गया तो दोनो ने बताया कि ट्रक में प्लास्टिक दाना लदा है तथा हुड व प्लास्टिक दाने के बीच गांजा छुपाकर रखा हु पकडे जाने के डर से गाड़ी बैक कर रहा था। उक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनो सस्ते दाम पर गांजा रंगीया असम से खरीदकर ट्रक पर लादे थे तथा महंगा दाम पर बेच देते थे। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 57,58/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा उक्त वाहन को एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. शिवकुमार राठौरा पुत्र स्व0 रामवीर सिंह निवासी पुराऊ, अलावन जनपद एटा।
2. दिनेश दास पुत्र स्व0 महेश्वर दास निवासी पितम्बर हाट, बाजाली रंगिया जनपद कामरूप, असम।

बरामदगी–

1. अवैध गांजा 01 कुन्टल 16 किलों कीमत लगभग 10 लाख रूपये।
2. एक ट्रक वाहन (एचआर 55 एन 06511)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह (एसओजी टीम प्रभारी), उ0नि0 अमित मिश्रा, हे0का0 जवाहर सरोज, हे0का0 रितेश राय, का0 अवधेश यादव, का0 सुशील यादव, का0 विवेक पाण्डेय, का0 संजीव सिंह, का0 कमलेश कुमार ठाकुर **(एसओजी टीम)**

का0 विवेक सिंह, का0 संजय सिंह **(सर्विलांस टीम)**

निरीक्षक निहार नन्दन कुमार (प्रभारी निरीक्षक थाना हलधरपुर) उ0नि0 सुरेश सिंह यादव, उ0नि0 गंगा सागर मिश्रा, का0 अकिंत चौरसिया, का0 शिवकुमार चौहान, का0 पंकज यादव, आ0चा0 श्रीकान्त पटेल **(थाना हलधरपुर)**

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26.06.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 141/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त मो0 सलीम पुत्र कल्लू निवासी मोहल्ला पुराना गोला थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 30/21 धारा 323,504,506,328 भादवि0 में वांछित अभियुक्त गोलू पुत्र रामकेर, नीरज पुत्र जयराम निवासीगण गोपालपुर थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 75/21 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र सूरेश राम निवासी किन्नूपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मोबाइल छीनने की कोशिश करने वाले युवक को छात्रा ने पकड़ कर पुलिस को किया सुपूर्द–

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 25.02.2021 को स्वास्तिक हास्पिटल सहादतपुरा के पास से एक छात्रा से मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों ने मोबाइल छिनने की कोशिश की जिसमें से एक को उक्त छात्रा ने पकड़ लिया तथा थाना स्थानीय को सुपूर्द किया। पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्त का नाम साहिल सिंह पुत्र शिवजी सिंह निवासी पखई थाना सरायलखंसी जनपद मऊ ज्ञात हुआ उक्त के पास से छिनी गयी मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नम्बर यूपी 54 एए 3163 बरामद किया गया। पूछ–ताछ में उक्त द्वारा अपने साथियों का नाम क्रमशः सत्यम सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी पखई थाना सरायलखंसी जनपद मऊ व राजन यादव पुत्र स्व0 छतरू यादव निवासी कोटवा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ बताया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/21 धारा 392 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।